



2026:AHC-LKO:12970-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 210 / 2024

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ व अन्य याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

मनोज कुमार सिंह

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	तुषार वर्मा (ए.सी.एस.सी)
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	आशुतोष शाही, राकेश कुमार सिंह

न्यायालय मुख्य न्यायाधीश

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

1. अपील में 596 दिनों का विलंब है। विलंब को क्षमा करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।
2. शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन में बताए गए कारणों के आधार पर, उसे स्वीकार किया जाता है। अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।
3. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.07.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया था और 'अशोक कनौजिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य : रिट याचिका संख्या 236 (एस.बी.) / 2013, निर्णय दिनांक 28.01.2014' में दिए गए निर्णय का लाभ देने के निर्देश जारी किए गए थे।
4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह संकेत दिया है कि वर्तमान विशेष अपील में शामिल मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष बार-बार उठाया गया है और विशेष अपीलें बार-बार खारिज की गई हैं, जिसके विरुद्ध विशेष अनुमति याचिकाएं (एसएलपी) भी खारिज कर दी गई हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम सत्य प्रकाश गुप्ता : विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 843 / 2023, निर्णय दिनांक 30.11.2023' और 'विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 1769 / 2024 : उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम महेश चौबे व अन्य, निर्णय दिनांक 13.01.2026' के आदेशों का संदर्भ दिया गया है।
5. अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने यह दलील देने का प्रयास किया कि कई विशेष अपीलों और उनसे उत्पन्न विशेष अनुमति याचिकाओं के खारिज होने के बावजूद, मामले पर गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
6. हमने इस संबंध में की गई दलीलों पर विचार किया है और यह पाया कि 'सत्य प्रकाश गुप्ता (सुप्रा) के मामले में खंडपीठ ने 'अशोक कनौजिया (सुप्रा)' के मामले के निर्णय से शुरू हुए संपूर्ण विवाद पर संज्ञान

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लिया है, जिसमें विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बीरेंद्र कुमार मौर्य व अन्य : एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 17297 वर्ष 2014' का मामला आया, जिसमें विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी, हालांकि, राज्य के लिए विशेष अपील के निर्णय की समीक्षा (review) की मांग करने का विकल्प खुला रखा गया था। जिसके बाद, समीक्षा याचिका 10,000/- रुपये के अर्थदंड के साथ खारिज कर दी गई थी और इसके बाद विभिन्न खंडपीठों द्वारा निर्णय दिए गए। खंडपीठ निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँची:

"(22) यदि मामले का व्यापक रूप से अवलोकन किया जाए, तो यह उभर कर आता है कि राज्य की कार्यवाही को व्यथित कर्मचारियों द्वारा प्रारंभ में दो व्यक्तियों, अर्थात् अशोक कनौजिया और बीरेंद्र कुमार मौर्य द्वारा उनकी संबंधित रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी और जब उनकी रिट याचिकाएं स्वीकार कर ली गई थीं, तो राज्य ने अलग से दो विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने का विकल्प चुना। यद्यपि दोनों विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, लेकिन बीरेंद्र कुमार मौर्य के मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका में यह प्रावधान किया गया है कि इस विशेष अनुमति याचिका का खारिज होना याचिकाकर्ता के लिए लंबित कार्यवाहियों में कानूनन उपलब्ध सभी या किसी अन्य दलील को उठाने के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा।

(23) चूँकि रिट याचिकाओं के समूह को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं के संबंध में संदर्भ दिया गया है, उपरोक्त आदेश के साथ-साथ विशेष अपील दाखल संख्या 71 / 2023 में पारित आदेश की सहायता लेते हुए, जहाँ इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी, राज्य सरकार ने एक समीक्षा याचिका दायर की जो गुणों के आधार पर 10,000/- रुपये के अर्थदंड के साथ खारिज कर दी गई।

(24) प्रस्तुत अंतः-न्यायालय अपील में, अपीलार्थियों ने यह दलील दी है कि दिनांक 13.12.2011 के शासनादेश के अनुसार, सहायक अभियंता/अधिशाली अभियंता 8,700/- रुपये के ग्रेड पे के उन्नयन के हकदार नहीं हैं। इस संबंध में, यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने पहले ही रिट याचिका संख्या 578 (एस.बी.) वर्ष 2012, बीरेंद्र कुमार मौर्य एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य को स्वीकार कर लिया है और उपरोक्त दिनांक 13.12.2011 के शासनादेश को रद्द कर दिया है।

(25) न तो विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और न ही प्रत्यर्थी/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अभिलेख पर ऐसा कुछ प्रस्तुत किया है जिससे यह पता चले कि उपरोक्त आदेश को किसी व्यथित पक्ष द्वारा चुनौती दी गई है। एक बार जब प्रत्यर्थी के साथ किए गए भेदभाव को इस न्यायालय और साथ ही शीर्ष अदालत द्वारा नामंजूर कर दिया गया, तो हमारे पास अलग दृष्टिकोण अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।

(26) मामले के इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, हमारा यह दृढ़ मत है कि राज्य इस प्रस्तुत अपील के माध्यम से केवल एक तयशुदा मामले को फिर से खोलने की कोशिश कर रहा है, जबकि विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा न तो रिट याचिकाओं के समूह में और न ही समीक्षा याचिका पर पारित आदेश में किसी अवैधता या त्रुटि की ओर संकेत किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(27) यह स्पष्ट किया जाता है कि चूँकि यह एक तयशुदा मामला है, इसलिए केवल प्रासंगिक तथ्यों और कानून पर विचार किया गया है।

(28) ऊपर बताए गए सभी कारणों से, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों के विरुद्ध दायर अंतः-न्यायालय अपील गुणहीन है और एतद्वारा खारिज की जाती है।

(29) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।"

7. जैसा कि देखा जा सकता है, महेश चौबे (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को साधारणतया खारिज कर दिया है।

8. सत्य प्रकाश गुप्ता (सुप्रा) के मामले में निर्णय के अतिरिक्त, अजय कुमार आनंद बनाम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवा अधिकरण, लखनऊ व अन्य: रिट-ए संख्या 2001669 / 2014, निर्णय दिनांक 12.11.2023' और उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम विमल प्रसाद गुप्ता व एक अन्य: रिट-ए संख्या 26203 / 2017, निर्णय दिनांक 03.01.2024 में भी समान दृष्टिकोण अपनाया गया था।

9. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के दृष्टिगत, जहाँ समय-समय पर उठाई गई विभिन्न दलीलों और तर्कों के आधार पर अशोक कनौजिया (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्देशों में परिवर्तन/निरस्तीकरण की मांग करने के राज्य के बार-बार के प्रयास विफल रहे हैं, और जिन मामलों में विशेष अपीलें/विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, वे आदेश अंतिम हो चुके हैं, राज्य उक्त रिट याचिकाओं में दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।

10. एक बार जब अधिकांश मामलों में एक विशेष दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लिया जा चुका है और अब तक के सभी प्रयास विफल रहे हैं, तो वर्तमान विशेष अपील में राज्य द्वारा न्यायालय को एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी करने का एक और प्रयास, अनिवार्य रूप से दो वर्ग बनाने का प्रयास है, जिसके तहत समान रूप से स्थित व्यक्ति अशोक कनौजिया (सुप्रा) के मामले के निर्णय के लाभ के हकदार होंगे और यदि राज्य सफल होता है, तो जो बाद के निर्णय द्वारा शासित होंगे, वे इससे वंचित रह जाएंगे।

11. सत्य प्रकाश गुप्ता (सुप्रा) के मामले में खंडपीठ ने संपूर्ण प्रयास पर विचार किया है और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उस निष्कर्ष पर पहुँची है और उन परिस्थितियों में, हमें सत्य प्रकाश गुप्ता (सुप्रा) के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं दिखता है।

12. उस परिप्रेक्ष्य में, सत्य प्रकाश गुप्ता (सुप्रा) के मामले के निर्णय का अनुसरण करते हुए, वर्तमान विशेष अपील भी खारिज की जाती है।

(जसप्रीत सिंह, जे.) (अरुण भंसाली, सीजे.)

18 फरवरी, 2026

आर.के./ए.एच.ए.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"